

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक—मु0 30-4 (मु0)—रा०यो०-03-475/2018

4791

/पटना, दिनांक—२३/१०/१८

प्रेषक,

संजय कुमार, भा०प्र०स०
विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय: योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन छातापुर प्रखंड अन्तर्गत मटियारी से ब्रह्मोत्तरा जानेवाली एम०एम०जी०एस०वाई० पथ में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 40.62 मी० निर्माण हेतु रु० 314.01 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 2.39 लाख अर्थात् कुल 316.40 लाख रुपये (तीन करोड़ सोलह लाख चालीस हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण संपोषित योजना)—उप शीर्ष के अन्तर्गत राज्य के सुपौल जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज के क्षेत्राधीन छातापुर प्रखंड अन्तर्गत मटियारी से ब्रह्मोत्तरा जानेवाली एम०एम०जी०एस०वाई० पथ में उच्च स्तरीय पुल निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई 40.62 मी० निर्माण हेतु रु० 314.01 लाख एवं अनुरक्षण की राशि रु० 2.39 लाख अर्थात् कुल 316.40 लाख रुपये (तीन करोड़ सोलह लाख चालीस हजार रु०) मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

1. इस योजना को दो वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में पूरा किये जाने का लक्ष्य है।
2. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। कार्य निविदा के माध्यम से कराया जाएगा।
3. योजना के क्रियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी।
4. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड 37-4515001030105 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
5. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाड ऋण संपोषित योजना)—उपशीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 459.31 करोड़ रुपये का बजट उपबंध स्वीकृत है।
6. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज द्वारा योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक माह के 10 तारीख तक निश्चित रूप से कमशः अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, मध्येपुरा एवं मुख्य अभियंता—2, पटना के माध्यम से विभाग को उपलब्ध करायेगे।
7. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज यह सुनिश्चित करेगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
8. इस योजना का व्ययन मा० मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, द्वारा संचिका संख्या—मु० 30-4 (मु०)—रा०यो०-03-110/2014 के प०स०-23/टि० पर दिनांक 12.03.2018 को किया गया है।
9. इस योजना की स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०—मु० 30-4 (मु०) रा०यो० 03-475/2018 के प० स०-03/टि० पर दिनांक—12.09.2018 को प्राप्त है।

- बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत ही राशि की निकासी की जाय।
 - वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45 / 94-301 वि (2) दिनांक 31.01.1995 एवं वित्त विभाग के पत्रांक स्कीम (8)-11-2005-5090 वि (2) दिनांक 15.09.05 एवं 295 दिनांक 24.03.15 के आलोक में तथा वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45 / 94-301 वि (2) दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक-30.05.2017 में निहित निदेशों वित्त विभाग के संकल्प संख्या-4-45 / 94-301 वि (2) दिनांक 03.01.2008 एवं 3758 दिनांक-30.05.2017 में निहित निदेशों का अक्षरशः पालन किया जाय तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जाय। यह आदेश आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तिय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-०८-०३-४७५/२०१८ के पृष्ठ संख्या-०८/टि० पर दिनांक ०६.१०.१९ को प्राप्त है। मुद्रा ३०-४ (मुद्रा) रायो-०३-४७५/२०१८ के पृष्ठ संख्या-०८/टि० पर दिनांक ०६.१०.१९ को प्राप्त है।
 - यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य में नहीं।
 - योजना के लिए कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल त्रिवेणीगंज से विस्तृत कार्य योजना मांगी जायेगी एवं प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।
 - योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण (नियमित अंतराल पर) अनिवार्य रूप से किया जाय तथा प्रतिवेदन अभिलेखवद्ध किया जाय।
 - वित्त विभाग के पत्रांक-७७०, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि नाबार्ड से RIDF के अन्तर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु नाबार्ड को भेजी जाये।

ब्रापंक स० अ०-४ (म०)-रा०यो०-०३-४७५ / २०१८ ४७९।

पत्रिलिपि— कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

पटना, दिनोंक- 23/10/18

(संजय कुमार)

विशेष सचिव

टना, दिनोंवा

ह पेण्टि।

त्रायंक स० अ०-४ (स०)-रा०यो०-०३-४७५ / २०१८ ४७१

विशेष सचिव
पटना, दिनांक- २३/१०/१८

विशेष सचिव